

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 39 /2017-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की केन्द्रीय कर की दर सूचित करती है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफमद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियां।	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या संबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी के इस निमित्त अनुज्ञात करे, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण-

(i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(मोहित तिवारी)  
अवरसचिव, भारत सरकार